तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/6/25	A पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र अन्तर्गत O 6 R 17 एवं धारा 151 CPC प्रस्तुत हुई। A प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थनापत्र वादपत्र में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया है। A प्रतिवादी क्र. ① द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ख.नं. 231 की 0.40 हे० भूमि पूर्व में सिवायचक दर्ज थी और माननीय जिला कलेक्टर कोटा द्वारा सेट अपार्ट कर KDA के नाम दर्ज की गई है। हस्तगत भूमि राजकीय भूमि है जो किसी भी प्रकार से दुकाल कर वादी अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है, चूंकि वादी का वाद ही मेन्टेनेबल नहीं है तो संशोधन स्वीकार किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दिनांक 27.6.1967 के विक्रय के बाद वादी एवं वादी द्वारा किये गए विक्रयपत्र का अमल आज तक उसके द्वारा क्यों नहीं करवाया गया, जबकि 2.2 सेटलमेन्ट हो चुके हैं, महत्व कीमती	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजकीय भूमि को हड़प करने की नियत से यह झूठा वाद प्रस्तुत किया है, जिसको गलत ढंग से संशोधित करवाना चाहते हैं। जो कानूनन सम्भव नहीं है.	
	बहस वकीलान फरीकैन सुनी गई।	
	हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस वकीलान फरीकैन पर मनन किया।	
	हम विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के इस कथन से सहमत हैं कि अप्रार्थी की आपत्तियों का निस्तारण बाद तनकीह व साक्ष्य विस्तृत विवेचना उपरान्त होगा तथा वादपत्र में संशोधन की उक्त प्रार्थना से वादपत्र की नेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है.	
	उक्त परिस्थितियों में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 06 R 17 एवं धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है.	
	पत्रावली 27/6/25 को पेश हो	
	[signature] 13/6/25	